

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर
पत्रांक 279 / 2-6 दिनांक, गोरखपुर, मई 20 / 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय- भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, देवरिया-कसया मार्ग एस०एच०-79 के कि०मी० 11 (चैनेज सं०-100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-418, ग्राम-सिरसिया, तहसील व जिला देवरिया, देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 0.5 वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।
संदर्भ- भारत सरकार के पत्र सं०-8बी/यू०पी०/०६/135/2023/एफ०सी०/548 दिनांक 12.03.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 2297/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/एप्रोच/153338/2022, दिनांक 13.03.2024 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया का पत्रांक-2530/2-6, दिनांक 26.04.2024
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया ने अपने पत्रांक- 2530/2-6, दिनांक 26.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त बिन्दुओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव /अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी संशोधित प्रस्ताव/अभिलेख एत्सह संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भविदीय,
(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ।
A.B.M.

संख्या- अ/ दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(भीम सेन)
मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 2530 / 2-6 दिनांक, देवरिया, अप्रैल 26 / 2024
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :- जनपद-देवरिया में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस0एच0-79) के कि0मी0 सं0-11 (चैनेज सं0-100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-418 ग्राम-सिरसिया तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 वृक्षों/पौधों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- भारत सरकार के पत्र सं0-8 बी/यू0पी0/06/135/2023/एफ0सी0/548 दिनांक 12.03.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-2297/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/153338/2022 दिनांक 13.03.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप में निम्न

प्रकार है:-

क्र0 सं0	आपत्ति	उत्तरालेख
1	2	3
1	उस प्राधिकारी का नाम जिसमें एफ0 सी0ए0 1980 के उल्लंघन में आदेश पारित किया है और डी0एफ0ओ0 द्वारा उल्लंघन की कार्यवाही की गयी है ?	प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा एफ सी ए 1980 का उल्लंघन किया गया है। जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एच-2 केस जारी किया गया है (छाया प्रति संलग्न है)। तथा धारा-3बी के तहत कार्यवाही की गयी है (प्रति संलग्न है) ।
2	प्रभागीय वनाधिकारी,(डी0एफ0ओ0) यह सुनिश्चित करे कि प्रभाग में कोई भी अन्य खुदरा दुकान सक्षम प्राधिकारी की उचित मंजूरी के बिना संचालित नहीं हो रही है?	प्रभाग के अन्तर्गत अन्य कोई भी रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प बिना अनुमति के संचालित नहीं है यदि कोई संचालित पाये जाते है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाता है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

निदेश

6300
2-6
9-5-24

मुख्य वन संरक्षक
9/1-5-2024

भवदीय

R. J. Jha
(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

सामाजिक तानिकी प्रभाग, देवरिया

आरक्षीय कर्मचारी अधिनियम 1947 की धारा 33 ए - 17
द्वारा जारी किया गया है।

देवरिया जिला रामपुरवाड़ा

1. अभियुक्त के नाम का नाम क्या है? **राजेश्वर सिंह w/o अक्षय सिंह**
माता - **कल्याणी देवी** पं. 36 परचरणा थाना - **वर्धाचक्र**
2. गवाह का नाम, पता क्या है? **जि. देवरिया (30000)**
① **सुधाकर चंद्र शास्त्र वन देवगा**
② **विनायक कुमार सिंह वरौं**

कथित अपराध का पूरा विवरण देवरिया-कासगा मार्ग KM 11-12 के अर्ध राई पट्टी पर **श्री-सिरिया थाना-रामपुरवाड़ा जिला-देवरिया** में एक बड़े अड्डे की **धारा 30-30 तथा 35x22x86 = 800.1 वर्ग** परिसर में की जा चुकी है जो **श्री-वर्धाचक्र थाना-देवरिया** में है।

अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण

अपराधी का नाम
पता
दिनांक

गवाह का मूल्यांकन **राजेश्वर सिंह**

अपराधी का नाम

अपराध की गयी लकावियों का विवरण एवं रखने का स्थान **X**

अधिसूचना

दिनांक 13-6-2022 को जारी

अपराधी के नाम तथा जांच के सम्बन्ध में विषयगत
विषयगत के अनुसार समय अनुसार 1947 के अधिनियम के अन्तर्गत
अपराध के विवरण पर पूछा गया। जहाँ पर एक बड़े अड्डे की
धारा 30-30 तथा 35x22x86 = 800.1 वर्ग परिसर में की जा चुकी है जो
श्री-वर्धाचक्र थाना-देवरिया में है। उपरोक्त परिसर में अपराधी के
वस्तुओं का पता लगाया गया। अपराधी के नाम **राजेश्वर सिंह** के द्वारा
अपराध के विवरण का विवरण देवरिया जिला में अपराधी के नाम
अपराधी के नाम **राजेश्वर सिंह** के द्वारा अपराध के विवरण देवरिया जिला में
अपराधी के नाम **राजेश्वर सिंह** के द्वारा अपराध के विवरण देवरिया जिला में

39/09/2022-23

आधिकारी
प्रभागीय निदेशक

प्रमाणित किया जाता है कि
प्रमाणित किया जाता है कि
प्रमाणित किया जाता है कि
प्रमाणित किया जाता है कि

दिनांक 15/06/2022

प्रभागीय निदेशक
समाजिक बचत प्रसारण
देवारिया

अन्य अधिकारियों की रिपोर्ट

आपके भागीदारों के नामों की सूची
आपके भागीदारों के नामों की सूची
आपके भागीदारों के नामों की सूची
आपके भागीदारों के नामों की सूची

प्रभागीय निदेशक
आठ वाठ प्रभाग
देवारिया

रिजिस्ट्रार की प्रतिवेदन तथा सिफारिश
R.C. No. 09/2022-23

उक्त केस की जांच श्री विपिन कुमार से कम्प्ली गमी हुई जांच रिपोर्ट के अनुसार
इतिहास इस प्रकार है कि रिजिस्ट्रार निर्णय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था
दिनांक 12/04/22 दिनांक 18/06/23 के अर्थ 50,000/- पर एवं केस नं. 134/0-2021
26 दिनांक 2-8-2023 के अर्थ 12,900/- पर प्रत्यक्ष काट लिया गया है।

अंतिम निर्णय
प्रमाणित अधिकारी
के उपरोक्त अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार यह

प्रमाणित किया जाता है कि
प्रमाणित किया जाता है कि
प्रमाणित किया जाता है कि

प्रमाणित किया जाता है कि
प्रमाणित किया जाता है कि
प्रमाणित किया जाता है कि

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक बचत प्रसारण
देवारिया

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

वन अपराध *वन संरक्षण अधिनियम 1981 के धारा 3(1) के अन्तर्गत*

रिपोर्ट नं० दिनांक *21/11/2023* रेंज *देवरिया* वीट *राजपुर कारखाना*

रेंज केस नम्बर *38/23-24* 20 20

1. अभियुक्त के नाम पिता का नाम तथा पता *शारदा सिंह जी/ श्री अमरका सिंह*

2. गवाह का नाम, आत्मज तथा पता *शत्रुघ्न - कुंही बरौली, पति - पचरईका थाना - देवरिया जिला, ज.सं. - देवरिया।*

3. कथित अपराध का पूरा विवरण *देवरिया - कसगा गांव सि.जी. 11 से 13 के जंगल पर जंगल-विध्वंसना, थाना - राजपुर कारखाना जिला - देवरिया में किया गया अस्तर के अ.सं. का 0-67503-8 संरक्षित वन क्षेत्र का जैव-वैज्ञानिक प्रयोग किया जाया जो वन संरक्षण अधिनियम-1981 के धारा 3(1) के अन्तर्गत।*

4. अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण

5. कुल हानि का मूल्यांकन

6. बरामद की गयी लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान

7. चालान तथा जांच के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ

आज 21/11/2023 को देवरिया - कसगा गांव सि.जी. 11 से 13 के जंगल पर जंगल-विध्वंसना, थाना - राजपुर कारखाना जिला - देवरिया में किया गया अस्तर के अ.सं. का 0-67503-8 संरक्षित वन क्षेत्र का जैव-वैज्ञानिक प्रयोग किया जाया जो वन संरक्षण अधिनियम-1981 के धारा 3(1) के अन्तर्गत किया है।

R. J. ...